

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1721]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 19, 2017/ ज्येष्ठ 29, 1939 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 19, 2017/ JYAISTHA 29, 1939

No. 1721] NEW DELHI, N

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2017

का. आ. 1935 (अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फ़ायदाग्रहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निवारण करता है;

और जबिक, शीघ्र निदान और नियमित उपचार पूरा करके क्षयरोग (टीबी) की देखभाल सार्वभौमिक पहुँच के संवर्धन हेतु, केंद्रीय सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन 'निक्षय' (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया हैं) नामक वेब-आधारित आवेदन का उपयोग करके पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) की केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम प्रशासित कर रहा है। यह स्कीम देश भर में फैले सरकारी स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों और रजिस्ट्रीकृत प्राइवेट स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है;

और जबिक, स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पात्र क्षयरोग रोगियों, प्राइवेट स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और उपचार सहायता प्रदाताओं (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फ़ायदाग्राही कहा गया है) को इस स्कीम के अधीन सशर्त नकद सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'फ़ायदा' कहा गया है) प्रदान की जाती है; और जबिक, उपर्युक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वितित है;

अत:, अब आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् '*उक्त अधिनियम*' कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति से आधार नंबर रखने का सबूत देना और आधार अधिप्रमाणन करवाना अपेक्षित होगा।

3796 GI/2017 (1)

- (2) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति, जिसके पास आधार नम्बर नहीं है अथवा जिसने आधार नम्बर के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, को 31/08/2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का पात्र हो और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जा सकता है।
- (3) आधार (नामांकन और अद्दतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से, जो राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, अपेक्षा की जाती है, कि वह ऐसे फ़ायदाग्रहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करे जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, और यदि संबंधित ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित न हो, तो राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके अथवा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा;

परन्तु फायदाग्राहियों को आधार नंबर समनुदेशित किए जाने के समय तक, स्कीम के अधीन फ़ायदे ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित पहचान-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

- (क) (i) यदि उसने नामांकन करवा लिया हो तो उसका आधार नामांकन आईडी स्लिप; अथवा
 - (ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रति, जैसा कि पैरा 2 के उप-पैरा (2) में विनिर्दिष्ट है; और
- (ख) (i) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-पत्र; अथवा (ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; अथवा (iii) पासपोर्ट; अथवा (iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; अथवा (v) राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा शासकीय लैटर हैड पर जारी किया गया फोटो पहचान प्रमाण-पत्र; अथवा (vi) डाक विभाग द्वारा जारी पता कार्ड जिसपर नाम और फोटो हो; अथवा (vii) बैंक फोटो पासबुक, अथवा (viii) किसान फोटो पासबुक;अथवा (ix) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कार्ड, अथवा (x) राशन कार्ड; अथवा (xi) सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से पदनामित अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेज़ों की उस प्रयोजन के लिये जांच की जाएगी।

- 2. स्कीम के अधीन फ़ायदाग्रहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदा प्रदान करने के लिए, स्कीम के कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्था करेंगे, अर्थात्:-
 - (1) सरकारी स्वास्थ्य सुविधा-केंद्रों और प्राइवेट प्रत्यायित स्वास्थ्य सुविधा-केन्द्रों के माध्यम से स्कीम का मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार किया जाएगा और व्यक्तिगत सूचना दी जाएगी, जिससे कि स्कीम के फ़ायदाग्रहियों को स्कीम के अधीन 'आधार' की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाया जा सके और उनको सलाह दी जायेगी कि, वे यदि पहले से नामांकित नहीं हैं तो, 31/08/2017 तक अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों पर जाकर अपना नामांकन करवाएँ। स्थानीय रूप से उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी।
 - (2) यदि स्कीम के अधीन फ़ायदाग्राही, ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में नामांकन केंद्र की अनुपलब्धता के कारण, आधार नामांकन कराने में असमर्थ हों तो, राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराएगा तथा स्कीम के फ़ायदाग्राही अपना नाम, पता, मोबाइल

नंबर और अन्य अपेक्षित ब्यौरे देकर आधार नामांकन हेतु अपना आवेदन राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पदनामित अधिकारियों के पास अथवा सरकारी स्वास्थ्य सुविधा-केंद्रों और प्राइवेट प्रत्यायित स्वास्थ्य सुविधा-केन्द्रों पर अथवा इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपने आधार नामांकन के अनुरोध को रजिस्टर कराएं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

> (फा.सं.जेड-28015/24/2017-टीबी) मनोज झालानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2017

S.O. 1935(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlement directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, in the Ministry of Health and Family Welfare the Central Government is administering the Centrally Sponsored Scheme of Revised National Tuberculosis Control Programme (RNTCP) using a web based application called Nikshay (hereinafter referred to as the Scheme) under the National Health Mission for promotion of universal access to tuberculosis (TB) care with early diagnosis and regular treatment completion. The Scheme is implemented by the State Governments and Union territory Administrations through the government health facilities and registered private health facilities spread across the country;

And whereas, under the Scheme conditional cash assistance (hereinafter referred to as the benefit) is offered to the eligible TB patients, private health care providers and treatment supporters (hereinafter together referred to as the beneficiaries), as per the Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of the section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Health and Family Welfare hereby notifies the following, namely: -

- 1. (1) An individual eligible to receive the benefit under the Scheme is, hereby, required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
 - (2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31/08/2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such person may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.
 - (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department of Health and Family Welfare, which is responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case, there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union Territory Administration shall provide Aadhaar

enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar;

Provided that till the Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or
 - (ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and
- (b) (i) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by Income tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving Licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on official letter head; or (vi) Address card having name and photo issued by the Department of Posts; or (vii) Bank Photo Passbook; or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Card; or (x) Ration Card; or (xi) Employee Photo Identity Card issued by the Government or Public Sector Undertakings; or (xii) Any other document as specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or Union territory Administration responsible for that purpose.

- 2. In order to provide convenient and hassle free benefit under the Scheme, the Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme shall make all the required arrangements including the following, namely:-
 - (1) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries through the Government health facilities and private accredited health facilities, to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment centres available in their areas by 31/08/2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available Aadhaar enrolment centres shall be made available to them.
 - (2) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of the Aadhaar enrolment centres in the vicinity such as Block or Taluka or Tehsil, the Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries under the Scheme may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other required details with the designated officials of the Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration or at Government health facilities or private accredited Health facilities or through the web portal provided for the purpose.
- 3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory Administrations except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F.No. Z-28015/24/2017-TB]

MANOJ JHALANI, Jt. Secy.